

①

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक...../2016.

संस्थित दिनांक: 16../03/2016.

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, खण्डपीठ इंदौर, म.प्र.

प्रकरण:

निगा - 968-PBR-16

सुभाष पिता श्री दीपचन्द्र जैन,

आयु: व्यवसाय:

राजपुर, तहसील राजपुर,

जिला बड़वानी (म.प्र.)

..... पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. श्रीमान् तहसीलदार, राजपुर,

जिला-बड़वानी (म.प्र.)

2. श्री सुरेश पिता श्री नानाजी ठक्कर

राजपुर, तहसील-राजपुर

जिला-बड़वानी (म.प्र.)

..... प्रत्यर्थागण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959.

श्रीमान् जी,

पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित निवेदन करता है-

वर्तमान पुनरीक्षण याचिका विद्वान तहसीदार महोदय राजपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 05अ/6अ/2004-05 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2005 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। सदर याचिका के साथ आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2005 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी/1 के रूप में संलग्न है।



EP 20-4/16
16/3/16



R 968-DAR/16

दिनांक तथा स्थान	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
21.4.2016	<p>आवेदक की ओर से श्री चेतन गौरी आग्नेयवाक उपाख्यता, शाहपुरा पर सुना गया। तदनुसार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तदनुसार आता पालि आदेश सीमांक आदेश नहीं होकर नक्शा त्रुटिहीन सख्त आदेश है। अतः अपर आगत आता सीमांक आदेश मान्य कर अपील निरस्त करने में त्रुटि की गई है। अतः अपर आगत आदेश दिनांक 2-2-2016 निरस्त किया जाकर प्रमाण इस निर्देश के साथ प्रमाणित किया जाय है कि आगत अपर पक्ष को सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रमाण को गुणदीप पर प्रकाशन करें।</p>	<p><i>(Signature)</i></p> <p><i>(Signature)</i> अध्यक्ष</p>